सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

1.अपील संख्या 164/17 **निर्णय दिनांकः—10.04.2018**

1. शिवकुमार पुत्र गोपालराम जाति ब्राहमण निवासी चक 465 आरडी तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।

—अपीलांट्स

—बनाम—

1. नब्बू खॉ पुत्र गामूखॉ जाति मुसलमान निवासी लाखनसर तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, छत्तरगढ़।

रेस्पोडेन्ट्स

2.अपील संख्या 400/17 **निर्णय दिनांकः—**

1. रमजान पुत्र नूर मौहम्मद जाति मुसलमान निवासी लाखनसर तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।

—अपीलांट्स

—बनाम—

1. नब्बू खॉ पुत्र गामूखॉ जाति मुसलमान निवासी लाखनसर तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, छत्तरगढ़।

रेस्पोडेन्ट्स

अपीलें विरूद्व आदेश दिनांक 04—11—2016
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़

उपस्थितिः—

1. श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया, अभिभाषक अपीलांट(अपील संख्या 164/17)
2. श्री सन्तनाथ, अभिभाषक अपीलांट (अपील संख्या 400/17)
3. श्री नरसाराम जाखड़, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट
4. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने उक्त अपीलें उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ के आदेश दिनांक 04—11—2016 जिसके द्वारा वादगत् भूमि का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को मिडियम पेच आवंटन किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. दोनों अपीलों में निर्णय किये जाने योग्य वैधानिक प्रश्न समान है इसलिए इन दोनों अपीलों को एक ही कोमन निर्णय से निर्णित किया जा रहा है। इस निर्णय की एक—एक प्रति उपरोक्त दोनों पत्रावलियों पर रखी जावे।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपील संख्या 164/17 में बहस करते हुए बताया कि अपीलांट ने विशेष आवंटन हेतु वर्ष 1993 में छत्तरगढ़ तहसील के चक 1 एलकेएम के मुरब्बा नम्बर 113/33 की कुल 20 बीघा भूमि हेतु आवेदन किया गया था जो दिनांक 23—11—1993 को खारिज कर दिया गया। जिसकी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर अर्थात न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करने पर दिनांक 30—04—2009 को अपीलांट की अपील स्वीकार कर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि यदि वादगत् भूमि अन्य किसी को आवंटित नहीं की गई हो तो अपीलांट को आवंटन की कार्यवाही की जावे। उक्त आदेश के बावजूद भी अदालत मातहत द्वारा न तो अपीलांट को वादगत् भूमि का आवंटन ही किया गया है बल्कि वादगत् भूमि के रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को मिडियम पेच आवंटन किये जाने के समय न तो अपीलांट को कोई नोटिस जारी किया गया ना ही सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलांट का प्रार्थना पत्र आज दिनांक को भी अदालत मातहत के समक्ष जैरकार है तथा अपीलांट द्वारा अनेकों

बार आवंटन बाबत् प्रार्थना पत्र देने के बाद भी अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के रिमाण्ड प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं की गई। अदालत मातहत द्वारा रिमाण्ड आदेशों को दरकिनार करते हुए व इस तथ्य से भलींभांति परिचित होते हुए भी की वादगत् भूमि विशेष आवंटन हेतु आरक्षित रकबा है इसके बावजूद भी वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बतौर मिडियम पेच के तहत किया गया है। अदालत मातहत द्वारा उक्त आवंटन नियमों के विपरीत जाकर किया गया आवंटन है। जो निरस्त योग्य आवंटन है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर न्यायालय हाजा के आदेशों की अवहेलना करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अदालत मातहत के समक्ष जब यह तथ्य स्पष्ट था कि वादगत् भूमि विशेष आवंटन हेतु गजट में प्रकाशित है तो ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को वादगत् भूमि का आवंटन मिडियम पेच के तहत किया जाना स्पष्ट रूप से आवंटन नियमों की अवहेलना है। उक्त तथ्य तहसीलदार छत्तरगढ़ द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में भी अभिलिखित है कि वादगत् भूमि विशेष आवंटन के गजट वर्ष 1991 में प्रकाशित है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा ऑखें मूंदकर वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। इस प्रकार अदालत मातहत का आदेश आवंटन नियमों के विपरीत होने से काबिल निरस्त आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जाकर न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 30—04—2009 की पालना सुनिश्चित कराये जाने हेतु निर्देशित किया जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में आरबीजे (8) 2001 351 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील संख्या 400/17 में बहस करते हुए कथन किया कि वादगत् भूमि ग्राम लाखनसर तहसील छत्तरगढ़ के खसरा नम्बर 229/56 तादादी 38 बीघा बारानी भूमि अपीलांट को टीसी में वर्ष 1982 में आवंटित की गई थी तत्पश्चात् अपीलांट को वादगत् भूमि का पुख्ता आवंटन कर दिया गया। अपीलांट आज दिनांक तक मौके पर काबिज है। इस प्रकार उक्त भूमि

आक्यूपाईड लैण्ड है। ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि आवंटन योग्य भूमि नहीं थी। आवंटन अधिकारी द्वारा आवंटन नियमों को ताक पर रखकर वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। वादगत् भूमि ग्राम लाखनसर के खसरा नम्बर 229/56 जिसके मुरब्बा नम्बर 113/33 में किला नम्बर 21 ता 23 तादादी 3 बीघा ही बने है। शेष भूमि आज भी बारानी भूमि है। इससे स्पष्ट है कि वादगत् भूमि चकों में परिवर्तित ही नहीं हुई है। अदालत मातहत द्वारा उक्त तथ्य को नजरअंदाज करते हुए वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। जो स्पष्ट रूप से क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया आवंटन है।

उन्होंने आगे बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किस तारीख को आवेदन प्राप्त किया तथा किस तारीख को आवेदन स्वीकार किया गया इसका कोई हवाला अपने आदेश में नहीं दिया गया है। अदालत मातहत द्वारा दिनांक 04—11—2016 को आवंटन आदेश जारी किया गया तथा उसी दिनांक को चालान जारी करते हुए राशि जमा करवाई गई है। जिससे साबित है कि अदालत मातहत द्वारा तमाम कार्यवाही एक ही दिन में आनन—फानन में की गई है। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व इस तथ्य की जॉच नहीं की गई कि रेस्पोडेन्ट के धारण में पूर्व में कितनी भूमि निहित है। वर्तमान में रेस्पोडेन्ट के धारण में पूर्व में ही सिलिंग सीमा से अधिक भूमि निहित है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट को वादगत् भूमि लघुपट्टी के रूप में आवंटित नहीं की जा सकती थी। वादगत् भूमि के बाबत् प्राप्त पटवारी रिपोर्ट से यह साबित है कि वादगत् भूमि गजट में प्रकाशित है तथा गजट में प्रकाशित होने के कारण वादगत् भूमि का आवंटन बतौर विशेष आवंटन ही हो सकता है फिर भी अदालत मातहत द्वारा उक्त रिपोर्ट को ताक पर रखकर आवंटन नियमों के विपरीत जाकर वादगत् भूमि का आवंटन मिडियम पेच के तहत किया गया है जो आवंटन कानून व आवंटन नियमों के विपरीत होने से काबिल खारिज आवंटन है।

प्रकरण यह तथ्य निर्विवाद है कि वादगत् भूमि अपीलांट को टीसी से आवंटित भूमि थी ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि आवंटन योग्य

उपलबध भूमि नहीं होने के कारण अदालत मातहत द्वारा किया गया आवंटन प्रारम्भ से ही शून्य व एबईनिशियो वाईड आवंटन की परिभाषा में आता है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने दोनों अपीलों में कॉमन बहस करते हुए कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि चक 1 एलकेएम के मुरब्बा नम्बर 113/33 की 18.17 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन बतौर मिडियम पेच किया गया है। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व नियमानुसार वादगत् भूमि के बाबत् रिपोर्ट प्राप्त की गई तथा आवंटन से पूर्व दिनांक 24—06—2016 को एक अधिसूचना जारी की गई कि उपखण्ड क्षेत्र ईगानप में अवस्थित है व लधुपट्टी, मध्यम पट्टी श्रेणी में भूमि आवंटन जो आराजीराज व निर्विवाद रकबा उपलब्ध है जिसको आवंटन करवाने हेतु संबंधित भू—धारकों द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये है तथा अन्य किसी प्रतिस्पर्धी काश्तकार के आवेदन प्राप्त नहीं होता है तो आवेदन पत्र को एकल प्रार्थना पत्र की श्रेणी का धोषित करते हुए नियमानुसार निस्तारित कर दिया जावेगा। निस्तारण के उपरान्त किसी का उज्र एतराज मान्य नहीं होगा। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व ही सार्वजनिक सूचना जारी कर दी गई थी। अपीलांट्स द्वारा तत्समय किसी प्रकार का उज्र एतराज अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अब वे अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व संबंधित तहसीलदार से मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्राप्त किया गया था। उक्त नजरी नक्शे के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि वादगत् भूमि के चिपते काश्तकार गोपीराम, नब्बूखॉ व सरमा आदि की वरियता कायम की गई तथा वादगत् भूमि के चिपते अन्य काश्तकार गोपीराम व सरमा आदि द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने की सूरत में वादगत् भूमि के आवंटन हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का एकल प्रार्थना पत्र होने पर अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों के

अनुरूप ही बतौर मिडियम पेच आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन पश्चात् निर्धारित राशि खजानाराज में जमा करवाई जा चुकी है। ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि के आवंटन की तमाम प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है।

उन्होंने आगे बताया कि जहॉ तक वादगत् भूमि के अपीलांट रमजान को टीसी आवंटन का प्रश्न है, अपीलांट द्वारा न तो अदालत मातहत के समक्ष टीसी से पुख्ता का कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा है ना ही न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है जिससे साबित हो कि वादगत् भूमि अपीलांट को टीसी में आवंटित थी तथा पूर्व खसरा नम्बर 229/56 के वर्तमान में चक 1 एलकेएम के मुरब्बा नम्बर 113/33 में परिवर्तित होकर पैमूद हुई हो। अपीलांट बिना दस्तावेजी साक्ष्य के वादगत् भूमि पर अपना अधिकार साबित नहीं कर सकते है।

इसीक्रम में विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने आगे बताया कि जहॉ तक अपीलांट शिवकुमार का विशेष आवंटन का प्रश्न है अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दिनांक 23—11—1993 को खारिज कर दिया गया था। उक्त खारिजी आदेश के विरूद्व न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अदालत हाजा द्वारा दिनांक 30—04—2009 को अपीलांट की अपील रिमाण्ड की गई। अपीलांट द्वारा उक्त रिमाण्ड आदेश दिनांक 30—04—2009 के विरूद्व करीब 7 वर्ष तक अर्थात आवंटन दिनांक तक कोई चाराजाई नहीं की गई है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट वादगत् भूमि के आवंटन का इच्छुक नहीं रहा है।

अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों की पूर्ण पालना करने के उपरान्त ही वादगत् भूमि का आवंटन बतौर मिडियम पेच रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। अपीलांट शिवकुमार व रमजानखॉ का वादगत् भूमि से कोई लेना—देना नहीं है। लिहाज अपीलांट्स की अपीलें खारिज की जाकर वादगत् भूमि का रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 को बतौर मिडियम पेच के तहत किया गया आवंटन बहाल रखा जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 04—11—2016 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपीलें 04—05—2017 व 09—10—2017 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। चूंकि वादगत् भूमि का आवंटन अपीलांट्स को बिना सुनवाई, सूचना व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान किये पारित किया गया है। ऐसी स्थिति आदेश जैर अपील एकतरफा तौर पर पारित किया जाना साबित है अतः अपीलांट्स के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) हस्तगत् प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय ने चक 1 एल.के.एम. के मुरब्बा नम्बर 113/33 के किला नम्बर 1, 2, 3 ता 8, 10, 11 ता 18, 19 ता 25 तादादी 18 बीघा 17 बिस्वा भूमि का बतौर मिडियम पेच में आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने पर वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है।

(3) हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व अपीलांट् शिवकुमार द्वारा प्रस्तुत दस्ताावेजों का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ प्रस्तुत तहसीलदार की रिपोर्ट का अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट रूप से फलीभूत होता है कि वादगत् भूमि विशेष आवंटन हेतु वर्ष 1991 के गजट में प्रकाशित भूमि थी। ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि आवंटन दिनांक को मिडियम पेच आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि नहीं थी।

(4) अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट जिसमें स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि वादगत् भूमि विशेष आवंटन हेतु वर्ष 1991 के गजट में प्रकाशित है, कि अनदेखी करते हुए वादगत् भूमि का आवंटन बतौर मिडियम पेच रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व अपीलांट शिवकुमार जिसको वादगत् भूमि के आवंटन हेतु **न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक**

30—04—2009 को प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया था कि वे अपीलांट को सुनवाई का अवसर देते हुए यदि आवेदित रकबा किसी अन्य को आवंटन नहीं किया गया है तो नियमानुसार आवंटन करें। अदालत मातहत द्वारा उक्त आदेश के बावजूद भी अपीलांट शिवकुमार को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा न्यायालय हाजा के रिमाण्ड आदेशों की अवहेलना करते हुए वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया जाना प्रथम दृष्टया साबित होता है।

(5) प्रस्तुत प्रकरण में संबंधित पटवारी द्वारा ना तो वादगत् भूमि के संबंध में मौका रिपोर्ट सही तरीके से तैयार की गई है ना ही उक्त रिपोर्ट में उल्लेखित काश्तकार व अपीलांट जिसको वादगत् भूमि बतौर टीसी आवंटन हुई थी, को ना तो कोई नोटिस प्रदान किया गया व ना ही उसे सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान किया गया।

(6) प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश में अंकित किया गया है कि उक्त भूखण्ड आवंटन हेतु अन्य किसी का आवेदन पत्र जैरकार नहीं है तथा तहसीलदार द्वारा उक्त भूखण्ड आवंटन प्रथम वरियता के आधार पर अनुशंसा की गई है। जबकि अदालत मातहत को प्रकरण में यह देखा जाना चाहिए था कि राजस्थान उपनिवेशन आवंटन नियम, 1975 के नियम 14 के तहत मिडियम पेच आवंटन किये जाने से पूर्व उक्त मुरब्बें में निहित व चिपते अन्य काश्तकार को नोटिस प्रदान किया गया है अथवा नहीं? अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों के इस महत्वपूर्ण तथ्य को दरकिनार करते हुए केवल मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत मात्र से समस्त कार्यवाही सम्पादित किया जाना परिलक्षित होता है। आवंटन से पूर्व इस तथ्य की जॉच अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व नहीं की गई है। जो घोर अनियमितता की श्रेणी की त्रूटि है।

(7) इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में एक तरफ तो अपीलांट शिवकुमार न्यायालय हाजा के रिमाण्ड आदेशों के अनुसरण में वादगत् भूमि के आवंटन का पात्र है वहीं **दूसरी तरफ अपीलांट रमजान खॉ द्वारा यह कथन किया जा रहा है कि वादगत् भूमि उसे बतौर टीसी**

आवंटन थी तथा कालान्तर में उक्त टीसी आवंटन को पुख्ता किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को चाहिए था कि वादगत् भूमि के रिकार्ड व मौके की स्थिति का अवलोकन करते हुए सभी हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई, सबूत व साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुए नियमानुसार आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित की जानी चाहिए थी।

(8) अदालत मातहत द्वारा एक तरफ तो अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया ना ही अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अन्य चिपते काश्तकारों को सुनवाई का अवसर दिये बिना, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बतौर मिडियम पेच आवंटन किया गया है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा एक तरफ तो राजस्थान उपनिवेशन (इगानप क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 14 (1) के विपरीत जाकर आवंटन किया गया है तथा वादगत् भूमि के आवंटन में राजहित की अनदेखी करते हुए राज्य को आर्थिक नुकसान भी पहुॅचाया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश किसी भी दृष्टि से न्यायसंगत आदेश की परिभाषा में नहीं आता है

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपीलें आशिंक स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 04–11–2016 उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है वे अपीलांट्स को सुनवाई व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 10.04.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर